Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 1179/G/OA-410 & 411/2024 दिनांक– 12-1-24.

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

No. Date-

**Sub: Action Taken Report in compliance of order dated 09.11.2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 410/2023 Vipin Versus State of U.P. & Ors.& OA No 411/2023 Bijender Dhama Vs State of U.P. &Ors.**

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following main directions-

***"------ 5. We find that in respect of alleged violation the UPPCB has not initiated any action against M/s. Anjanisut Infrastructure Private Limited.***

***6. Learned Counsel appearing for the UPPCB has submitted that due action will be taken immediately against the alleged violation by the Project Proponent specially for violating "Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016" (SSMG-2016) and "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining". (EMGSM-2020).***

***7. The UPPCB is directed to file an action taken report in this regard within 8 weeks. Similarly, the fresh action taken report by the District Magistrate, Baghpat be also filed within 8 weeks***

..................

***10. In the meanwhile, we also deem it proper to issue notice to the Project Proponents - M/s. Anjanisut Infrastructure Private Limited in OA No. 410/2023 and M/s. Vaibhavraj Enterprises in OA No. 411/2023. Let the notices be served by the Registry upon the said Project Proponents.***

***11. The reports in terms of the above order be filed within 8 weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."***

In compliance of the above said order, the Action Taken Report is attached herewith for your kind perusal please.

Enclosure: As above

Yours faithfully

BPYadav

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer

**Action Taken Report in compliance to order dated 09.11.2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 410/2023 Vipin Versus State of U.P. & Ors.& OA No 411/2023 Bijender Dhama Vs State of U.P. &Ors.-**

Hon'ble NGT has passed an order dated 09.11.2023 in OA No 410/2023 Vipin Versus State of U.P. & Ors. & 411/2023 Bijender Dhama Vs State of U.P. & Ors. The operative portion of the order is as under:-

*"......... 5. We find that in respect of alleged violation the UPPCB has not initiated any action against M/s. Anjanisut Infrastructure Private Limited.*

*6. Learned Counsel appearing for the UPPCB has submitted that due action will be taken immediately against the alleged violation by the Project Proponent specially for violating "Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016" (SSMG-2016) and "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining". (EMGSM-2020).*

*7. The UPPCB is directed to file an action taken report in this regard within 8 weeks. Similarly, the fresh action taken report by the District Magistrate, Baghpat be also filed within 8 weeks*

*..................*

*10. In the meanwhile, we also deem it proper to issue notice to the Project Proponents - M/s. Anjanisut Infrastructure Private Limited in OA No. 410/2023 and M/s. Vaibhavraj Enterprises in OA No. 411/2023. Let the notices be served by the Registry upon the said Project Proponents.*

*11. The reports in terms of the above order be filed within 8 weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."*

In compliance of the Hon'ble NGT direction, Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board is as follows;

1- U.P. Pollution Control Board vide letter no. H01918/C-3/Jal-766/Meerut /2023 dated 13/10/2023 has issued show cause notice for imposition of Environmental Compensation of Rs. 3,19,72,911/- against the Project proponent Shri Sushant Panwar S/o Shri Mahesh Panwar, Director of M/s Anjanisut Infrastructure Pvt. Ltd. R/o 16/17, Ist floor, Sec-41, Noida for alleged mining at Subhanpur Village, District Bagpat and the ATR has already been submitted in Hon'ble Tribunal vide letter No H01943/C-

3/NGT-343/2023 dated 16/10/2023. The copy of the letter dated- 16.10.2023 is enclosed herewith as **Annexure-I.**

2- A Writ Petition (Civil)-No.- 27135 of 2023 was filed in Hon'ble High Court, Allahabad by M/s Anjanisut Infrastructure Pvt. Ltd. R/o 16/17, Ist floor, Sec-41, Noida. Hon'ble High Court, Allahabad vide order dt. 12.10.2023 has directed District Magistrate, Baghpat to consider the objection which was filed by the petitioner on 21.06.2023 and decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order. The copy of Hon'ble High Court, Allahabad order dated-12.10.2023 is enclosed as **Annexure-II.**

3- The District Magistrate, Baghpat in its order dated-20.12.2023 has confirmed the violation of Rule 3 & 72 of Uttar Pradesh Upkhanij Parihar Niyamawali, 2021 and Section 4/21 of Khanan Va Khanij (Vikas Evam Viniyaman) Adhiniyam, 1957 and has imposed Environmental Compensation of Rs. 1,07,06,620/- for the illegal mining activity. The copy of the order dated-20.12.2023 is enclosed as **Annexure-III.**

4- U.P. Pollution Control Board vide letter no. H05484/C-3/Jal-766/Meerut/2024, dated-10/01/2024 has also imposed Environmental Compensation of Rs. 3,19,72,911/- for the environmental damage due to illegal mining activity and has directed to the project proponent to deposit the imposed Environmental Compensation within 15 days and the copy of the notice is also endorsed to District Magistrate, Baghpat and Mining Officer, Baghpat. The copy of the notice dated-10.01.2024 is enclosed as **Annexure-IV.**

The above Action Taken Report is being submitted for kind perusal and consideration.

12/1/24

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Meerut

Annexure I

144

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

पत्र संख्या: H01943 / सी–3 / NGT. 343 / 2023 दिनांक: 16 / 10 / 2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report of The Joint Committee and Action Taken Report (ATR) in compliance of the order dated-03-07-2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No.- 410/2023 Vipin Versus State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 411/2023 Bijender Dhama Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In compliance of the order dated- 03.07.2023 passed by the Hon'ble Nationa! Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 410/2023 Vipin Versus State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 411/2023 Bijender Dhama Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Joint Committee inspected the unit on 25.08.2023. The report of the Joint Committee is annexed as **Annexure-A**.

On the basis of Joint Committee recommendations/facts found during inspection dated-25.08.2023, show cause notice for Environmental Compensation imposing of Rs. 3,19,72,911/- has been issued vide H.O. UPPCB, Lucknow letter No. H 01918/C-3/Jal-766/Meerut/2023, dated 13.10.2023, which is annexed as **Annexure-B**.

The report of Joint Committee and Action Taken is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

Chief Environmental Officer,
Circle-3

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for necessary action please.
2. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.
3. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action.

Chief Environmental Officer,
Circle-3

o/c

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Annexure-B

161

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

संदर्भ संख्या:H.02.12.18..../सी–3/......................./2023 दिनांक: 13/10/2023

सेवा में, पंजीकृत

श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर,
निवासी–16/17, प्रथम तल, सेक्टर–41, नोएडा,
द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,
ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र.।

**विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के संबंध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्टाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर, निवासी–16/17, प्रथम तल, सैक्टर–41, नोएडा निवासी ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क सेक्टर–50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. पर के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक–12.10.2023 के अनुसार मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या–410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या–411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–03.07.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–25.08.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक–12.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–25.08.2023 के अनुसार खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत द्वारा प्रदत्त अनुमति 20,000 घन मीटर के सापेक्ष 44,623 घनमीटर खनन किया गया है। एवं कार्यालय जिलाधिकारी, खनन अनुभाग, मेरठ के पत्र संख्या–801/जांच/2023–24, दिनांक–07.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक कुल 41 दिवसों में 44623घन मीटर बालू खनन किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु.–7 के पत्रांक–445/81–7–2020–39(पर्या)/2014 दिनांक–01 मई 2020 में किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाने को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट प्रदान की गयी है यथापि आप द्वारा अनुमन्य खनन –20,000 घनमीटर से अधिक खनन 13 खनन पिट्स बनाकर कुल 44,623 घनमीटर खनन किया गया। इस अधिक खनन (Excess Mining) हेतु राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति व बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य था, जिसका आप द्वारा उल्लघन किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना तथा राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना इकाई का संचालन किया गया है तथा दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक कुल 41 दिवसों हेतु खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ की उक्त आख्या दिनांक–12.10.2023 के अनुसार मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांक–03.07.2023 के अनुक्रम में दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक की अवधि अर्थात कुल 41 दिवसों में अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए बिना सहमति प्राप्त किये 24,623 घन मीटर अवैध खनन हेतु Approach 2- Rs. 3,19,72,911/- (रुपये तीन करोड उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है। आपकी इकाई के संबंध में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या–410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या–411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य विचाराधीन है।

अतः अतः क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनाक–12.10.2023 के परिप्रेक्ष्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या–410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या–411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–03.07.2023 के अनुपालन में उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1 यह कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या-410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या-411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-03.07.2023 के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथॉडोलॉजी के अनुसार पट्टाधारक श्री सुशांत पवार पुत्र श्री महेश पवार, डायरेक्टर, निवासी–16/17, प्रथम तल, सेक्टर–41, नोएडा निवासी ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर–50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक अनुमन्य खनन– 20,000 घनमीटर के सापेक्ष किये गये कुल खनन–44,623 घनमीटर खनन व खनन परियोजना द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये 24,623 घनमीटर अवैध खनन Approach 2- Rs. 3,19,72,911/- (रुपये तीन करोड उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना प्रत्युत्तर/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें। इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर, जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपि:

1. विधि अधिकारी, प्रथम, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226 010
दूरभाष 0522-2720828, 2720831
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Annexure-II

Neutral Citation No. - 2023:AHC:196888-DB

**Court No. - 3**

**Case :-** WRIT - C No. - 27135 of 2023

**Petitioner :-** M/S Anjanisut Infrastructure Pvt. Ltd.
**Respondent :-** State Of U.P. And 5 Others
**Counsel for Petitioner :-** Vibhu Rai,Abhinav Gaur,Sr. Advocate
**Counsel for Respondent :-** C.S.C.

**Hon'ble Siddhartha Varma,J.**
**Hon'ble Manoj Bajaj,J.**

(1) The petitioner, a company received a notice dated 9th June, 2023 that it had excavated more mineral than was permitted by the permit dated 27.04.2023. There was a specific allegation that the petitioner had excavated minerals to the extent of 44,623 cubic meters which was much more than the permitted quantity which was 20,000 cubic meters. The petitioner replied to that notice on 21st June, 2023. In reply to the notice it was categorically mentioned that no permit was ever applied for by the petitioner and also the same was never obtained and it had also been stated that no 'Form MM 11" was ever applied and that on the spot in question there were no vehicles of the petitioner's parked.

(2) Thereafter, when the District Magistrate upon considering the reply of the petitioner on 12th July, 2023 cancelled the permit of the petitioner after holding that the petitioner had mined in excess to the permit which was granted to him, the petitioner had approached this Court. On 21.08.2023, we had passed an order asking for specific instructions. The order is being reproduced hereas under:

*"From the instructions, which we have received it appears that an application was received in the office of the respondents on 11.04.2023. The initial fee of Rs.2,000/- was also deposited. Along*

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

*with the application the Adhar Card of Sri Sushant Pawar, one of the Directors was also appended and the PAN Card of the company was accompanying the application.*

*The case of the State is that even mining plan was submitted by the petitioner. Even from the instructions, it is evident that the Mines Officer had given a licence for the excavation of 20,000 qubic meters. From the spot in question certain vehicles have also been seized.*

*However, learned counsel for the petitioner has stated that neither the company had applied nor they had deposited any royalty etc.*

*We find that the application was made online and also for the removal of the minerals the OTP was issued.*

*It would, therefore, in the fitness of things that the mining department may investigate as to whether any application was sent from the office of the petitioner and also whether the vehicles belonged to the petitioner.*

*List this case on 29.08.2023 as fresh. By that time also all the policies by which the sand on the land of a bhumidhar is auctioned be produced by the department."*

(3) In response thereof instruction was received on 8th August, 2023 and on 5th September, 2023. A perusal of the instructions shows that permit was granted on 27.04.2023, thereafter MM-11 was also granted and all these were a result of a valid application by the petitioner.

(4) Learned counsel for the petitioner upon perusing the instructions has argued that the petitioner which is a company had never applied. He has also stated that no amount to the tune of Rs.26,00,000/- which was required to be deposited for getting of the permit was ever deposited. It has been submitted that the petitioner would never deposit Rs.26,00,000/- by cash. It has also been submitted that the accepting officer had not put his signature on the *challan* by which the application fee was deposited. Still further learned counsel for the petitioner upon perusal of the

instructions has stated that the application was accompanied by a PAN Card and an affidavit. He submits that the signatures of the applicant on the application; the PAN Card and on the affidavit are absolutely different from each other and he, therefore, submits that the application, the grant of the permit etc. was never there at the behest of the petitioner. He states that malafidely things had been done behind the back of the petitioner, which has its office in Delhi; and the land is situate at Baghpat.

(5) Learned Standing Counsel, however, in reply has submitted that there was an application which was accompanied by an affidavit and all the required documents and also the required fee of Rs.26,00,000/- was paid. He submits that even applications were made for the grant of MM-11 by the petitioner.

(6) Having heard the learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel, we are of the definite view that when the petitioner received the notice dated 9th June, 2023, he had filed a specific reply that he had never applied for the permit. We also find from the reply that the petitioner had stated that even MM-11 was never applied for and no OTP etc. was received at the end of the petitioner.

(7) However, upon a perusal of the order dated 12th July, 2023 which is impugned before us, we find that these aspects of the matter have not been considered. The District Magistrate has only relied upon the inspection report dated 06.06.2023 and 07.07.2023 and has concluded that the petitioner had excavated more than 20,000 cubic meters for which it had the permit and had instead excavated 44623 cubic meters which was in excess by 24623 cubic meters. We also find that none of the grounds which were taken by the petitioner in the reply it had submitted on 21st June, 2022 had

been considered.

(8) In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 cannot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, quash the order dated 12th July, 2023 and remand the matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the petitioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order.

(9) We also make it clear that such documents which have been received by the petitioner by way of instructions, which the learned Standing Counsel had supplied on 8th August, 2023 and 5th September, 2023 and did not form a part of the notice, may also be explained by the petitioner by an additional reply.

(10) With these observations, this writ petition is **allowed**.

**Order Date :-** 12.10.2023
Raj

AUTHENTICATED COPY
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

Digitally signed by :-
RAJ KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad

Annexure-III

# आदेश

मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर निवासी 16/17 प्रथम तल, सेक्टर 41 नोएडा एवं ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पक्ष में ग्राम–सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 एवं 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु तहसीलदार, खेकडा की आख्या दिनांक 11.04.2023 व खान अधिकारी, बागपत की आख्या दिनांक 15.04.2023 के आधार पर अनुज्ञप्ति दिनांक 27.04.2023 से 03 माह तक के लिए स्वीकृत की गयी। अनुज्ञप्ति स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये–

01– दिनांक 06.06.2023 को उपजिलाधिकारी, खेकडा द्वारा अनुज्ञापत्रधारक के कार्य क्षेत्र की जॉच आकस्मिक रूप से किये जाने पर प्रथमदृष्टया यह ज्ञात हुआ कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा नियमों/शर्तो व प्रकिया के विपरीत खनन कार्य किया जा रहा है। तत्क्रम में श्री हवलदार सिंह यादव तत्कालीन खान अधिकारी, बागपत, खान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर व वरिष्ठ सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा ड्रोन व जी0पी0 एस0 की सहायता से दिनांक 07.06.2023 को सयुंक्त जॉच की गयी। जॉच के समय कुल क्षेत्र से हटाये गये ओवरबर्डन (मिटटी मिश्रित बालू) क्षेत्र में बनाये गये निकासी रास्ता व अनुज्ञा–पत्र के स्वीकृत क्षेत्र को सम्मलित करते हुए जी0पी0एस0 के द्वारा सभी कोर्नर के जियो कोर्डिनेटस लिये गये, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 72, 316 वर्गमीटर मापी गयी। इसी क्षेत्र में कुल 13 बालू खनन के पिट्स पाये गये, जिनमें कुल 22073 वर्गमीटर पाया गया। इस प्रकार अनुमन्य मात्रा से 24623 घनमीटर अधिक साधारण बालू का अवैध रूप से खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया।

02– प्रकरण में अनुमन्य मात्रा से अधिक साधारण बालू का अवैध खनन पाये जाने पर कार्यालय पत्र संख्या 809/ख0लि0/2023 दिनांक 09 जून, 2023 मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 21.06.2023 में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर द्वारा नोटिस का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 23.06.2023 को कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित किया गया कि सन्दर्भित नोटिस दिनांक 10.06.2023 को कम्पनी के पूर्व निदेशक श्री सुशांत पंवार के हाल निवास ए–46 मंगल भवन, सेक्टर–50, नोएडा के पते पर प्राप्त हुआ था, जो कि दिनांक 02.01.2023 को ही निदेशक के पद से त्याग पत्र दे चुके है। दिनांक 07.06.2023 को कम्पनी को समाचार–पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है परन्तु कम्पनी द्वारा अनुमति से अधिक खनन कार्य करने के कारण उपजिलाधिकारी द्वारा कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौका

.............क्रमशः 2 पर

मुआयना किया गया तथा 50 डम्पर एवं 12 पॉकलेन सहित एक फोर्च्यूनर कार सहित कुछ ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त किये गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न तो कोई अनुज्ञा हेतु आवेदन किया और न ही अनुज्ञा हेतु कोई रायल्टी ही जमा की गयी है।

03– मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर द्वारा नोटिस दिनांक 09.06.2023 के संबंध में प्रस्तुत किया गया प्रतिउत्तर, पोर्टल पर अपलोड आवेदन एवं तहसीलदार, खेकडा की रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली–2021 के नियम 3 व 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व अनुज्ञा–पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर के पक्ष में ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 एवं 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु दिनांक 27.04.2023 में 03 माह तक स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र को तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक 12.07.2023 को निरस्त किया गया है।

04– आदेश दिनांक 12.07.2023 के विरूद्ध मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर प्रशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर निवासी 16/17 प्रथम तल, सेक्टर 41 नोएडा एवं ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 27135/2023 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12.10.2023 को आदेश पारित किये गये। आदेश दिनांक 12.10. 2023 का कियांन्वयात्मक अंश निम्नवत है:–

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023

"In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 connot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, Quash the order dated 12th July, 2023 and remand the matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the petitioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order"

"We also make it clear that such documents which have been received by the petitioner by way of instructions, which the learned Standing Counsel had supplied on 8th August, 2023 and 5th September, 2023 and did not form a part of notice, may also be explained by the petitioner by an additional reply"

05- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को पुनः अपना लिखित कथन/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.11.20223 को नोटिस निर्गत किया गया। जिसके अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा दिनांक

.............क्रमशः 3 पर

09.11.2023 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। उक्त के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपने उत्तर दिनांक 21.06.2023 व वर्तमान में प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 09.11.2023 में मुख्य रूप सें अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये–

क– यह कि उनके द्वारा दिनांक 03.10.2019 को अपने गाटा संख्या 403, 404, 405, 406, 393, 399, 400, 416, 417, 413, 414, 415, 407, 446, 423, 422 व 421 ग्राम सुभानपुर, तहसील खेकडा रकबा 4.8830 है0 हेतु जिला प्रशासन को इस आशय से सहमति प्रदान की गयी थी कि यदि प्रशासन चाहे तो उक्त गाटा संख्या बाढ के कारण आये बालू रेत को किसी भी अन्य को नीलाम कर दे ताकि उक्त भूमि पर पुनः कृषि कार्य किया जा सकें। जिसके कम में प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण कम्पनी द्वारा 25.08.2020 को उक्त गाटा संख्या में निजी भूमि हेतु स्वयं 40000 घनमीटर खनन करने हेतु आवेदन किया गया। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नही की गयी जिस कारण कम्पनी को उपरोक्त कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त ही पडी रही।

ख– यह कि दिनांक 07.06.2023 को प्रार्थी कम्पनी को दैनिक समाचार के माध्यम से सूचना मिली कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है।

ग– यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि उनके द्वारा न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई रायल्टी जमा की गयी है।

घ– यह कि उपरोक्त फर्जी आवेदन में खनिज की मात्रा 12000 घनमीटर हेतु आवेदन किया है जबकि नोटिस/आदेश दिनांक 09.06.2023 व 12.07.2023 के अनुसार खनन स्वीकृति 20000/–(बीस हजार) घनमीटर की दर्शायी गई है। उपरोक्त Hard Copy को कार्यालय में जमा कराते हुए किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नही है। मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के पेन कार्ड संख्या AAGCA5329M की छायाप्रति पर सुशांत पंवार पुत्र महेश पुवार के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है। हस्तलिपि विशेषज्ञ से हस्ताक्षरो का मिलान कराने पर पाया गया कि सुशांत पंवार के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है।

ड– यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्व ऑनलाईन प्रार्थना पत्र में दर्शित 12000 घनमीटर के इतर खनन की अनुज्ञा 18000 घनमीटर के लिए चाही गई है, जो कि प्रदर्शन करता है कि आवेदक द्वारा जहॉ जो चाहा लिख दिया परन्तु खनन अनुभाग द्वारा इस पर न तो कोई ध्यान दिया और न ही उक्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करने की अथवा डाक द्वारा पत्राचार करने की अथवा उक्त व्यक्ति जो खनन अनुज्ञा चाह रहा है उसका पता भी प्रमाणित करने की आवश्यकता समझी और कुल 20000 घनमीटर हेतु अनुज्ञा जारी कर दी गयी।

.............क्रमशः 4 पर

च– यह कि उपनिरीक्षक आदित्य कुमार द्वारा अपनी आख्या में जब्त 50 डम्पर, 12 पॉकलेन व 3 ट्रैक्टर तथा 01 फॉर्च्यूनर गाडी में कोई भी वाहन मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 का नही पाया गया। फॉर्च्यूनर गाडी UP14EQ6679 के मालिक सुधीर राठी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी 187, ईस्ट एण्ड अंसल ट्रानिका सिटी, लोनी देहात गाजियाबाद पाये गये जो कि उपरोक्त फर्जीवाडे का मुख्य संदिग्ध व्यक्ति हे। सम्भवतः उक्त व्यक्ति द्वारा उनके मोबाईल नम्बर 8000400052 पर MM11 हेतु OTP भी Generate कराया हो सकता है।

छ– कोषागार प्रपत्र 201(1) जो कि कोषागार में रू0 26,00,000/–लाख रूपये नकद जमा कराने विषयक है जिस पर न तो जमाकर्ता का नाम है और न ही जमाकर्ता द्वारा कोई हस्ताक्षर किया है। बैंक स्टेटमेंट में भी पूरे वर्ष में इतनी बडी रकम की धनराशि उपलब्ध नही है।

ज– यह कि आवेदन दिनांक 11.04.2023 में ऑनलाईन के माध्यम से किया गया इसी दिनांक 11.04.2023 को ही लेखपाल खेकडा, राजस्व निरीक्षक, खेकडा व तहसीलदार, खेकडा द्वारा समस्त आख्या प्रस्तुत कर दी गयी जो कि बिना किसी खनन विभाग के उच्चाधिकारी से मिलीभगत के सम्भव नही है इससे स्पष्ट है कि किसी बडी साजिश के उपरोक्त फर्जीवाडा किया गया है।

6– उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जो साक्ष्य या अभिलेख उपलब्ध है उनके प्रकाश में इनके तर्को का प्रतिकार इस प्रकार है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपने उत्तर के बिन्दु संख्या **"क"** में दिनांक 03.10.2019 को गाटा संख्या 403, 404, 405, 406, 393, 399, 400, 416, 417, 413, 414, 415, 407, 446, 423, 422т व 421 ग्राम–सुभानपुर, तहसील–खेकडा रकबा 4.8830 है0 में बाढ के कारण आये बालू रेत को किसी अन्य को नीलाम करने के संबंध में व उनके द्वारा दिनांक 25.08.2020 को उक्त गाटा संख्या में निजी भूमि हेतु स्वयं 40000 घनमीटर खनन करने हेतु आवेदन संबंधी कथन सही है। किन्तु उक्त आवेदन तत्कालीन खान अधिकारी, बागपत की संलग्न आख्या दिनांक 10.12.2020 के आधार पर निरस्त किया गया है। आवेदन निरस्त करने का मुख्य कारण इस प्रकार है कि प्रश्नगत भूमि में कौन–कौन सहखातेदार है तथा सहखातेदारो द्वारा अनापत्ति के संबंध में आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति हस्ताक्षर की पुष्टि नही करायी गयी है। उक्त खसरा नम्बरान में लगभग 20 काश्तकार है जिनकी सहमति/आपत्ति स्पष्ट नही है और न ही सहखातेदारो के खसरा नम्बरानों की कुर्रेबन्दी हुई है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संलग्न खतौनी में सहखातेदार के रूप में अंकित कम्पनियों में श्री महेश पवांर डायरेक्टर है, जिन पर खनन विभाग का बकाया वर्तमान में भी है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बरानों से ई–निविदा के माध्यम से बालू खनन अनुज्ञा पत्र

.............क्रमशः 5 पर

दिया जाना संभव नही है। उत्तरदाता द्वारा कहना कि जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी, बिल्कुल असत्य है व उत्तरदाता का यह कथन केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से किया जाना प्रतीत होता है।

07– यह कि बिन्दु संख्या **"ख"** में उत्तरदाता द्वारा यह कहना कि प्रार्थी कम्पनी को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है कतई असत्य कथनों पर आधारित है क्योंकि परमिट में उल्लिखित भूमि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 की है और उक्त भूमि पर खनन कार्य लगभग दो माह से चल रहा था जिसके बारे में कम्पनी को जानकारी न होना सम्भव नही है। उक्त समस्त कार्यवाही मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु की गयी है जिसमें असत्य तथ्यों के आधार पर जैसे कि उक्त भूमि नदी तल में स्थित है परन्तु आवेदन कर्ता द्वारा कृषि भूमि दर्शाकर आवेदन किया गया है।

08– यह कि बिन्दु संख्या **"ग"**, **"घ"** व **"ड"** में उत्तरदाता का यह कथन कि उनके द्वारा कोई आवेदन नही किया गया और न ही कोई रायल्टी जमा की गयी है बिल्कुल असत्य है क्योंकि प्रार्थी कम्पनी द्वारा upminemitra portal पर निर्धारित फीस अंकन 2000/–रूपये जमा करने के उपरान्त 12000 घनमीटर साधारण बालू खनन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है तथा हार्ड कॉपी में 18000 घनमीटर साधारण बालू खनन हेतु आवेदन किया गया है। खनिज की मात्रा, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व उपखनिज की उपलब्धता पर निर्धारित होती है जिसमें मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है। उत्तरदाता के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये आधार कार्ड व पैनकार्ड पर हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवेदक द्वारा इसके अतिरिक्त प्रस्तुत खनन योजना में 26423 घनमीटर उपखनिज साधारण बालू उपलब्ध होने की पुष्टि की गयी है। इस प्रकार उत्तरदाता का उक्त कथन पूर्णतः असत्य एवं निराधार प्रतीत होता है।

09– यह कि यह कि बिन्दु संख्या **"च"** में उत्तरदाता द्वारा यह कहना कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा उपनिरीक्षक आदित्य कुमार की आख्या का व्याख्यान किया गया है जिसमें 50 डम्पर, 12 पॉकलेन मशीन व 3 ट्रेक्टर तथा फॉर्च्यूनर गाडी का वर्णन है। फॉर्च्यूनर गाडी UP14EQ6679 जो कि सुधीर राठी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी 187, ईस्ट एण्ड अंसल ट्रानिका सिटी, लोनी देहात, गाजियाबाद के नाम पर पंजीकृत है के संबंध मे थाना–खेकडा, जनपद–बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसकी विवेचना प्रगति में है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आयेगें वह आदेश का भाग होगें।

10– यह कि बिन्दु संख्या **"छ"** में उत्तरदाता का यह कथन कि कोषागार प्रपत्र 201 (1) जो कि कोषागार में रू0 26,00,000/–लाख रूपये नकद जमा कराने विषयक है जिस पर न तो जमाकर्ता का नाम है और न ही जमाकर्ता द्वारा

.............क्रमशः 6 पर

कोई हस्ताक्षर किया है। बैंक स्टेटमेंट में भी पूरे वर्ष में इतनी बडी रकम की धनराशि उपलब्ध नही है। उत्तरदाता का यह कथन बिल्कुल असत्य एवं निराधार है क्योंकि इतनी बडी धनराशि कोई बिना किसी कारण के जमा नही कर सकता है।

11— यह कि बिन्दु संख्या **"ज"** में उत्तरदाता का यह कथन कि यह कि आवेदन दिनांक 11.04.2023 में ऑनलाईन के माध्यम से किया गया इसी दिनांक 11.04. 2023 को ही लेखपाल खेकडा, राजस्व निरीक्षक, खेकडा व तहसीलदार, खेकडा द्वारा समस्त आख्या प्रस्तुत कर दी गया जो कि बिना किसी खनन विभाग के उच्चाधिकारी से मिलीभगत के सम्भव नही है। जहॉ तक एक ही दिन में समस्त कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ऐसी कोई बाध्यता किसी भी शासनादेश में नही है कि एक ही दिन समस्त कार्यवाही नही की जा सकती।

12— यह कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के अवलोकन उपरान्त यह तथ्य सामने आया है कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा नियम—52 के अन्तर्गत आवंटित अनुज्ञा पत्र के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए स्वचलित मशीनों जैसे पौर्कलेन आदि के माध्यम से नियम व प्रकिया के विपरीत जाकर खनन कार्य किया गया है। कुल आवंटन 20000 घनमीटर के सापेक्ष निरीक्षण के दिनांक तक ही 44623 घनमीटर बालू का खनन व परिवहन कार्य किया जाना पाया गया है, जो कि आवंटित मात्रा के दो गुना से भी अधिक है। ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 के स्थान पर 72316 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 22073 है0 में खनन किया गया है, जो कि आवंटन क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक है तथा अनुमति प्राप्त क्षेत्र से बाहर है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा अनियमित खनन व परिवहन करने वाले अन्य वाहन स्वामियों के चालको से साज करके आवंटन के विपरीत व मानको के विपरीत खनन कार्य किया गया है, जो कि अविधिक है व खनन नियमावली व स्थनीय क्षेत्र की परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा किये गये अनियमित कार्यो की गंभीरता व मौके पर पकडे गये वाहनो की संख्या व खनन विभाग के वरिष्ठ सर्वेक्षक एवं अन्य व्यक्तियों की सयुंक्त आख्या में इंगित किये गये क्षेत्रफल इत्यादि से भी यह विदित होता है कि आपके द्वारा आवंटन के समस्त प्राविधानो के विपरीत अनियमित कार्य करते हुए राजस्व की भारी क्षति की गयी है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को निर्गत परमिट समयावधि समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

13— यह कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस उत्तर दिनांक 21.06.2023 एवं 09.11.2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के आलोक में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा स्वीकृत खनन

.............क्रमशः 7 पर

अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खनन व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार बालू की रायल्टी दर रूपये 65/–प्रति घनमीटर की दर से 24623 घनमीटर साधारण बालू के लिए अवैध खनन की रायल्टी दर व मूल्य अंकन 96,02,970/–रूपये(छियानवे लाख दो हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) व अर्थदण्ड 5 लाख रूप्ये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 11,03,650/–(ग्यारह लाख तीन हजार छः सौ पचास रूपये मात्र)रू0 कुल अंकन 1,07,06,620/–(एक करोड सात लाख छः हजार छः सौ बीस रूपये मात्र) धनराशि आरोपित की जाती है। आरोपित धनराशि एक माह के अन्दर जमा न कराये जाने की स्थिति में विपक्षी से भू–राजस्व बकाया की भॉति मांग पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

20.12.2023

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत।

# कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 1630 /एम0सी0–खनन अनुभाग/2023 दिनांकः 20 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
02–पुलिस अधीक्षक, बागपत।
03–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खजिन, बागपत।
04–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार खेकडा।
05–खान अधिकारी, बागपत।
06–अनुज्ञप्तिधारक मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार निवासी 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

20.12.2023

जिलाधिकारी,
बागपत।

Annexure-IV

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

संदर्भ संख्या: H05484/सी–3/ जल-766 / मेरठ / 2024 दिनाँक: 30 /01/2024

सेवा में,

**पंजीकृत**

श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर,
निवासी–16/17, प्रथम तल, सेक्टर–41, नोएडा,
द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,
ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र.। (9897442060)

**विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्टाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर, निवासी–16/17, प्रथम तल, सेक्टर–41, नोएडा निवासी ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर–50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. को क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या–410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या–411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–03.07.2023 के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथॉडोलॉजी के अनुसार पट्टाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर, निवासी–16/17, प्रथम तल, सेक्टर–41, नोएडा निवासी ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर–50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक अनुमन्य खनन– 20,000 घनमीटर के सापेक्ष किये गये कुल खनन–44,623 घनमीटर खनन व खनन परियोजना द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये 24,623 घनमीटर अवैध खनन Approach 2- Rs. 3,19,72,911/- (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड के पत्र एच 01918/सी–3/जल–776/मेरठ/2023 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार खान अधिकारी, बागपत के पत्र संख्या 1659/ख0सहा0/2023 दिनांक 26.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी, बागपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के विन्दु संख्या 13 में निंणित किया गया है कि इकाई मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस उत्तर दिनांक 21.06.2023 एवं दिनांक 09.11.2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के आलोक में उक्त इकाई द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन किया गया। जोकि उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खनन व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, के अनुक्रम में जिलाधिकारी, बागपत द्वारा अवैध खनन की रायल्टी दर व मूल्य अंकन 96,02,970/– (रू0 छियानवे लाख दो हजार नौ सौ सत्तर मात्र) व अर्थदण्ड 05 लाख रूपये प्रति हैक्टयर की दर से अंकलन 11,03,650/– रू0 कुल अंकन 1,07,06,620 (एक करोड़ सात लाख छः हजार छः सौ बीस मात्र) धनराशित अधिरोपित की गयी है। इस प्रकार इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. को दोषी माना गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ के पत्र/आख्या दिनांक 29.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी, बागपत के आदेश के आलोक में इकाई का प्रत्यावेदन दिनांक 06.11.2023 को बलहीन मानते हुए इकाई के विरूद्व बोर्ड के पत्र संख्या एच 01918/सी–3/जल–776/मेरठ/2023 दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 29.12.2023 के परिप्रेक्ष्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या–410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या–411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–03.07.2023 के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथॉडोलॉजी के अनुसार पट्टाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर, निवासी–16/17, प्रथम तल, सेक्टर–41, नोएडा निवासी ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर–50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. पर सक्षम

(2)

अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक अनुमन्य खनन– 20,000 घनमीटर के सापेक्ष किये गये कुल खनन–44,623 घनमीटर खनन व खनन परियोजना द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये 24,623 घनमीटर अवैध खनन Approach 2- Rs. 3,19,72,911/- (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104, IFSC कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करे अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भांति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बागपत।
3. विधि अधिकारी, प्रथम, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. खनन अधिकारी, बागपत।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

9/2/8